

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना


पटना, दिनांक-22.4.15

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2015 श्र०सं०.....08...../ श्री विनोद कुमार प्रसाद, श्रम अधीक्षक (सामान्य), सीतामढ़ी को अपनी पत्नी (दम्पति) के चिकित्सार्थ दिनांक 20.4.15 से 30.6.15 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान किया जाता है।

2. अवकाश अदेयता, प्रभार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त अवधि के लिए नियमानुसार उपार्जित अवकाश की स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

3. श्री विनोद कुमार प्रसाद के मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में श्री किशुन महतो, श्रम अधीक्षक (क०श्र०), सीतामढ़ी को श्रम अधीक्षक (सामान्य), सीतामढ़ी एवं श्रम अधीक्षक, शिवहर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
22-04-15  
(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-28/2015 श्र०सं० .....08...../ पटना, दिनांक-22-4-15

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं शिवहर/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
22-04-15  
सरकार के उप सचिव।